

पूर्व मध्य रेल



प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी

(PARTICIPATION OF RAILWAY EMPLOYEES IN MANAGEMENT – PREM)

वर्ष 2023

प्रेम समूह की प्रथम बैठक

स्थान :

मुख्यालय सभाकक्ष, हाजीपुर

समय :

12:30 बजे

दिनांक : 19 जनवरी 2023

सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ठ सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही।	2
2.	वर्तमान एजेंडा (चर्चा का विषय)।	3
3.	वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप के सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार।	4—8
4.	पिछले प्रेम बैठक (28.04.2022) की कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी।	9—21

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.) सह सचिव प्रेम ग्रुप	12.30	12.35
2.	अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय संबोधन।	महाप्रबंधक सह अध्यक्ष प्रेम ग्रुप	12.35	12.40
3.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :—			
	ईसीआरकेयू	अध्यक्ष	12.40	13.00
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
	एस0सी0 एवं एस0टी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	13.00	13.05
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	13.05	13.10
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	13.10	13.15
		महासचिव		
4.	वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	13.15	13.20
5.	वर्तमान एजेंडा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष की अनुमति से	13.20	13.25
6.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.25	13.30

चर्चा का विषय

1. **Asset Failure** रोकने के उपाय ।
2. माल लदान से रेलवे आय वृद्धि हेतु संभावित कदम ।

वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप के सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार :

महासचिव/ ईसीआर एससी एण्ड एसटी एशो0

“Asset Failure” रोकने के उपाय

रेलवे में परिसंपत्तियों का मतलब चल व अचल संपत्तियों से है जिसमें कि हम उत्पादन बढ़ा कर नित्य नये परिसंपत्तियों में विस्तार और अतिरिक्त वित्त का अर्जन कर सकते हैं। जब Asset Failure की बात करते हैं तो रेल कार्य में प्रयुक्त होने वाले सारे अवयवों यथा कारखाना, शेडों, कार्यालय एवं खुली लाईनों पर उत्पादन एवं अनुरक्षण में शामिल सभी मशीनें, चल अचल उपकरण, रेल लाईनें एवं कुशल मानव शक्ति इत्यादि आता है।

रेलवे पर Asset Failure रोकने हेतु ऑल इंडिया शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राईव्स रेलवे इम्प्लाइज एशोसिएशन/ईसीआर जोन सदस्य प्रेम ग्रुप निम्नलिखित तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करती है:-

1. अस्पतालों, कार्यालयों, कारखानों, शेडों, स्टेशनों एवं अन्य रेल स्थापनाओं में Asset कय कर स्थापित करने में उसकी गुणवत्ता के बारे में प्रमाणीकरण की विधि में आरडीएसओ के द्वारा कार्य स्थलों पर प्रयोग कर दक्ष कुशल कर्मचारियों से लिखित आश्वासन/घोषणा लेकर ही रेल कार्य हेतु प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
2. कंपनियों द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों को कार्य और जरूरत के अनुसार प्रत्येक मदों का मुख्य उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही भुगतान सुनिश्चित करना।
3. मॉग पत्रों में स्पेशीफिकेशन एवं शर्तों को कार्य स्थल पर कुशल कर्मचारियों द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार विमर्श कर बनाया जाए तथा बाजार में उपलब्ध उपकरणों से तुलना कर सही रूप से मिलान कर ब्रांडेड कंपनियों से सही माल खरीदा जाए।
4. मॉग पत्रों में ब्रांड ही दर्ज किया जाए न की Similar type.
5. आपूर्ति किये गये उपकरणों के शर्त एवं स्पेशीफिकेशन का मिलान कर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
6. कीमत के आधार पर गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि इसके लिए बोर्ड एवं क्षेत्रीय रेलवे स्तर द्वारा SOP में सुधार कर कय निविदा समिति को शक्तियां प्रदान की जाए।
7. आपूर्ति किये गये उपकरणों एवं परिसंपत्तियों का वारंटी अवधि में विफलता की स्थिति में बिना समय गंवाये शर्तों के अनुसार बदलने एवं मरम्मत न करने पर कड़े दंडों के प्रावधान निविदा शर्तों में शामिल किया जाए। इसके लिए उचित स्तरों से परिपत्र जारी कर नियमों में सुधार किया जाय।
8. मशीन/उपकरणों की आपूर्ति से पूर्व रेल कर्मचारियों को संबंधित कंपनी द्वारा संचालन हेतु प्रशिक्षण की शर्त Mandatary किये जाए खास कर संरक्षा संबंधी उपकरणों के लिए।
9. ठेका पर मानवशक्ति की आपूर्ति करने वाले एजेंसी को रेल कार्य प्रणाली में रेलवे में भर्ती करने हेतु आवश्यक योग्यता एवं दक्षता वाले कर्मचारी ही लगाए जाने की शर्त रखी जाए। साथ ही एजेंसी द्वारा कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों के योग्यता एवं दक्षता संबंधित कागजात निविदा में जमा करने हेतु शर्त निविदा में शामिल किये जाय तथा इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था रेलों पर एजेंसी के खर्च पर की जाय।
10. रेलवे में उपकरण आपूर्ति से पूर्व कुशल प्रशिक्षित मानवशक्ति की व्यवस्था की जाए। ऐसा देखा गया है कि मशीन/उपकरण तो खरीद लिये जाते हैं पर कुशल कर्मचारी के अनुपलब्धता के कारण जंग लग कर सड़ जाते हैं।
11. नये मशीनों के क्रय के पहले पिछले क्रय किये गये ऐसे सभी उपकरणों के आपूर्ति एवं कार्यशील एवं उम्र होने का प्रमाण देने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

रेलों पर कुशल मानवशक्ति भी एक Assets है। तकनीकी रूप से कुशल मानवशक्ति की आपूर्ति हेतु रेल पर भर्ती, प्रशिक्षण इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है जिसे दुबारा स्थापित करने के लिये पंचवर्षीय योजना लागू करना होगा। ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था को छोड़ ठेके पर मानवशक्ति की आपूर्ति करने के कारण Assets की विफलता के उपाय के लाख प्रयास भी विफल साबित होगा और रेल की संरक्षा में चुक बड़ी दुर्घटना होने पर रेल पर तोहमत लगा कर विदेशी हाथों में देने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

माल लदान से रेलवे आय वृद्धि हेतु संभावित कदम

रेल पर माल ढुलाई से आय में वृद्धि हेतु विभिन्न उपाय किये गये हैं। इंटेंसीव स्कीम रेलवे द्वारा वर्तमान में चलाये जा रहे हैं जिसमें भाड़े में छूट एवं अन्य उपाय शामिल हैं। पर इन सबके बावजूद प्रत्येक इंटेंसीव स्कीम पर छूट देने के बाद रेल पर माल यातायात में नया लदान का विश्लेषण कर डाटा उपलब्ध नहीं है।

माल लदान में वृद्धि के निम्नलिखित उपाय से एशोसिएशन अवगत कराना चाहती है:-

1. हम सभी देखते हैं कि किसी बड़ी कंपनी द्वारा अपने ब्रांड पर छूट दिया जाता है तो देखते देखते यह सूचना जन-जन तक पहुँच जाती है पर भारतीय रेल पर वही पारंपरिक तरीका समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाता है। रेलवे बोर्ड स्तर पर, नेशनल टीवी चैनल/सोशल मिडिया के माध्यम से आकर्षक इंटेंसीव स्कीम जारी किया जाना चाहिए।

2. मशीनीकरण/कंप्यूटराइजेशन के कारण बहुत सारे अतिरिक्त मैन-पावर उपलब्ध हैं। इन सभी को सभी स्कीमों की जानकारी देकर लदान की संभावनाओं वाले स्टेशनों/कमोडिटी का पता लगा कर रोड Traffic एवं रेल से ढुलाई से फायदे के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ढुलाई करने हेतु आकर्षक कमीशन पर Transport Agency को एजेंट के रूप में बहाल करना चाहिए।
3. लगभग सभी इंटेसीव स्कीमों में प्रायः यह देखा गया है कि प्रत्येक स्कीम प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के लिये अवधि वृद्धि की जाती है इसके रेगुलर व्यापारी को छोड़ नये Loader को पता करना पड़ता है कि स्कीम लागू है या नहीं। एशोसिएशन का यह मत है कि हर साल बढ़ाने की बजाए इसे अगले आदेश तक के लिये लागू कर दिया जाये और जब बंद करना हो तो उसे बंद कर दिया जाए।

महासचिव / ईसीआरपीओए

“Asset Failure” रोकने के उपाय

1. सही और समय पर विफलता की रिपोर्टिंग बिना तथ्यों को छुपाए हुए करना।।
2. अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग करना ताकि बिना मानवीय भूलों को शामिल किए Asset Health का पता चलता रहे।
3. Asset के रखरखाव से संबंधित तथ्यों का प्रशिक्षण सभी संबद्ध कर्मचारियों को दिया जाना और समय समय पर नए अपडेट के बारे में बताना तथा जागरूक करना।
4. मानक (standard) सामानों की पहचान करना तथा उपयुक्त मानक सामानों का ही उपयोग करना ताकि एसेट विफलता (Asset Failure) की संख्या में कमी लाई जा सके।
5. सबसे कम दरों पर मिलने वाले स्टोर सामग्री की सही तरीके से जाँच के दौरान इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही उपयोग में लाया जाना चाहिए ताकि विफलता को कम किया जा सके।
6. हरेक Asset की जांच का विस्तृत और आवधिक (Periodic) schedule बनाया जाना चाहिए और उसकी जांच उसी समयानुसार संबंधित लेवल के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कुछ सैंपल का चेक उच्चतर अधिकारियों की जिम्मेदारी में भी डाला जाना चाहिए ताकि समय समय पर और आकस्मिक रूप से Assets को चेक किया जा सके।

माल लदान से रेलवे आय वृद्धि हेतु संभावित कदम

1. पर्याप्त empty rake की आवश्यकता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2. Examined Wagon की उपलब्धता बढ़ाने हेतु नए examination पॉइंट विशेषकर दानापुर/सोनपुर/समस्तीपुर में गड़हरा अथवा अन्य जगहों पर examination पॉइंट चालू करना।
3. भारतीय रेल में लदान हेतु वैगन की संख्या में वृद्धि करना, विशेषकर BOBR wagon की संख्या बढ़ाना ताकि unloading में कम समय लगे और लदान के लिए उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
4. सीमेंट कंपनी के साथ लंबे समय का करार किया जाना चाहिए ताकि उनके उत्पादन का अधिक से अधिक माल रेलवे रैक के द्वारा ढोया जा सके। इससे ईंधन, रोड अवसंरचना, प्रदूषण आदि में भी कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकेगा।
5. नए कमोडिटी जैसे कि Fly Ash के लिए BTAP wagon की उपलब्धता बढ़ायी जानी चाहिए।
6. मांग के अनुसार छोटे छोटे स्टेशनों पर भी किनारे वाली लाइन में unloading की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि congested terminal की बजाय नजदीकी स्टेशन को प्राथमिकता दी जा सके और अधिक मांग उपलब्ध हो सके।
7. पॉलिसी में बदलाव कर उत्पादन इकाइयों का फिक्स्ड पर्सेंटेज रेल से ढोये जाने हेतु स्पष्ट आदेश उपलब्ध होना चाहिए तथा रेलवे को भी ऐसी इकाइयों के निकट लोडिंग हेतु infrastructure बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

प्रमुयांड

“Asset Failure” रोकने के उपाय

- CAMTECH मैनुअल/RDSO's के दिशानिर्देश के अनुसार Testing procedure का पालन किया जा रहा है।
- ब्रेक बाइंडिंग की समस्या से बचने के लिए CR ओवरचार्ज टेस्टिंग की जा रही है।
- एयर ड्रायर के उपयोग के कारण एयर ब्रेक सिस्टम में नमी (Moisture) का प्रवेश नहीं होता है।
- किसी भी स्प्रिंग को बदलने के दौरान Centring Disc को साफ कर इसे पेंट किया जा रहा है।

- **Primary Spring** बदलने के मामले में, **orientation** सुनिश्चित किया जा रहा है। **Primary Spring** की विफलता के मामले में, दोनों **Spring (Inner & Outer) vertical Damper, Vertical bumpstop** एवं **Rubber pad** को बदला जा रहा है।
- सभी न्यूमैटिक पाइपलाइनों का लीकेज टेस्ट सुनिश्चित किया जा रहा है।
- **D2 schedule** में **dirt collectors** की सफाई सुनिश्चित की जा रही है।
- **Flexible pipe** को **standard** कर (650 mm एवं 500 mm) **Inner dia** को 9 मिमी से बढ़ाकर 12 मिमी कर दिया गया है।
- **Pipe joint/Fittings** का उपयोग कम कर दिया गया है।
- ट्रेन की जांच और संचालन के दौरान कोई भी शॉर्ट कट नहीं हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है।
- चलती रेलगाड़ियों में असामान्यताओं का पता लगाने के लिए ट्रेक के किनारे उपकरणों की स्थापना।
- रखरखाव के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग।
- लोको पायलट, गार्ड और परीक्षण स्टाफ का उचित प्रशिक्षण।
- सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता।
- मैनुअल/गाइडलाइन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रॉलिंग स्टॉक का रखरखाव।

प्रमुख दुर्घटनाएँ

“Asset Failure रोकने के उपाय”

➤ विफलताओं की पुनरावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए एस एण्ड टी विभाग द्वारा प्रणाली में किया गया सुधार :-

- शेड्यूल के अनुसार प्वाइंट मशीन का रख-रखाव।
- पुराने प्वाइंट मशीन का प्रतिस्थापन।
- इंजीनियरिंग विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण में पाई गई कमियों का निष्पादन समय सीमा के अंदर किया जाए।

BPAC

1. मॉटेनेंस फ्री अर्थ का हरेक लोकेशन बक्सों पर प्रावधान, एसपीडी और एलपीडी की प्रभावशीलता की जांच का प्रावधान।
2. Dual SSDAC/HASSDAC द्वारा BPAC में रिडंडेंसी।
3. IPS DC-DC कन्वर्टर से SSDAC, Dual SSDAC/HASSDAC की प्रत्येक प्रणाली के लिए पावर पृथक्करण का प्रावधान।
4. RDSO योजना के अनुसार SSDAC/HASSDAC का लाइटनिंग एरिया में रिंग अर्थ का प्रावधान।

UFSBI

ऑटोमैटिक मीडिया चेंज ओवर स्विच का प्रावधान।

केबल :-

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य 914 किमी के विरुद्ध 1115 किमी खराब केबल को बदला गया। खराब केबल को प्राथमिकता पर बदल दिया जाय। एस एण्ड टी विभाग द्वारा आरपीएफ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर केबल काटने की घटनाओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाय।

ट्रेक सर्किट (टीसी) :-

1. इंजीनियरिंग के साथ संयुक्त निरीक्षण तुरंत किया जाना चाहिए एवं उसका अनुपालन प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी इंजीनियरिंग की कमी देखी गई तो तुरंत इंजीनियरिंग विभाग को सुधारने के लिए सूचित किया जाए।
2. इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रेल पर मटेरियल की ढुलाई की जाती है जिससे ट्रैक फेल होता है। नानस्टैंडर्ड

पहिया वाली ट्राली के चलाने से एक्सल काउंटर फेल होता है। इनका निदान स्टाफ की काउंसलिंग एवं स्टैंडर्ड पहिया वाली ट्राली के उपयोग से किया जा सकता है।

3. सभी टीआरडी बॉन्ड की जांच की जानी चाहिए और तुरंत टीआरडी विभाग के साथ संयुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

प्रमुपरिप्र

“Asset Failure” रोकने के उपाय

1. सभी उपकरण विफलताओं (Asset failures) को “सच्चाई से रिपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि “विफलता की सही तस्वीर” समुचित प्रबंधन निर्णयों के लिए उपलब्ध हो।
2. सभी उपकरण विफलताओं (Asset failures) को “एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली” में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिकारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से डेटा को संपादित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
3. विभिन्न प्रकार की उपकरण विफलताओं का सही विश्लेषण, परिहार्य या अपरिहार्य के रूप में विभागीय या अंतर-विभागीय गतिविधियों के लिए अलग से उपलब्ध हो।
4. प्रत्येक उपकरण की विफलता के लिए उचित रूप से जिम्मेदारी सौंपी जाए। आवधिक विश्लेषण समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा उपकरण की विफलता के संबंध में विफलता प्रवण कमजोर वर्गों, कमजोर प्रतिष्ठानों, विशिष्ट घटकों की लगातार विफलता, रखरखाव प्रथाओं में कमियां और क्या कुछ पर्यवेक्षण अधिकारियों के तहत विफलताएं आदि हो रही है।
5. इंटीग्रेटेड मेंटेनेंस ब्लॉक और कॉरिडोर ब्लॉक से मेंटेनेंस के काम में आसानी होगी। ऐसे सभी स्वीकृत ब्लॉक का अधिकतम उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए और मानक परिणाम भी प्राप्त किए जाने चाहिए।
6. प्रेरक शक्ति और रोलिंग स्टॉक की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उपयुक्त तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। जहां तक ट्रैक, ओएचई, सिगनल और टेलीकॉम उपकरणों का संबंध है, बेहतर रखरखाव के तरीकों से ट्रेन संचालन में सुरक्षा बढ़ेगी और रख रखाव की आवृत्ति कम होगी।
7. विफलताओं (एमटीबीएफ) के बीच औसत समय में वृद्धि और मरम्मत के लिए कम औसत समय (एमटीटीआर) पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
8. संपत्तियों के रखरखाव के लिए नियमित निरीक्षण किया जाए।

प्रमुवाप्र

“Asset Failure” रोकने के उपाय

1. वाणिज्य विभाग में आय के विभिन्न माध्यमों यथा बुकिंग, पार्सल एवं मालभाड़ा की बुकिंग में प्रयुक्त प्रणाली (कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली, अनारक्षित टिकट प्रणाली, टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली, पार्सल प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन, हैंड हेल्ड टर्मिनल इत्यादि) में विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन परिसंपत्तियों का पर्याप्त मात्रा में खरीद, प्रबंधन एवं वार्षिक रख-रखाव जरूरी है, ताकि इन परिसंपत्तियों के फेल होने से रोका जा सके एवं रेल राजस्व का नुकसान न हो।
2. वाणिज्य विभाग इन प्रणाली के लिए उपकरणों की खरीद CRIS द्वारा बताये गए विनिर्देश (Specification) के अनुसार तथा RITES द्वारा निरीक्षण के उपरांत करती है। ऐसी विभिन्न प्रणाली के उपकरणों का वारंटी भी निहित होती है, जिसमें किसी भी गड़बड़ी को उसी मेक के कंपनी के इंजीनियर ठीक करते हैं। CRIS द्वारा जारी रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भी इन उपकरणों की खरीद की जाय, ताकि गुणवत्ता बनी रहे एवं फैंल्योर की संभावना कम हो।
3. Asset Failure के रोकथाम हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। Digital training हेतु दानापुर

डिवीजन में पर्याप्त संसाधन विकसित किए जाय।

माल लदान से रेलवे आय वृद्धि हेतु संभावित कदम

1. मालगोदाम एवं साईडिंग की संख्या में बढ़ोतरी की गयी जिससे लदान में तेजी आयी तथा मार्ग में अवरोध में भी कमी आयी।
2. लदान व उतरान में तेजी लाने हेतु मालगोदाम के सुविधाओं में **PPP Mode** के आधार पर बढ़ोतरी की गई।
3. मालगोदाम के अवसंरचना में सुधार कर कार्य अवधि **Round the Clock** किया गया जिससे वैगन की उपयोगिता में बढ़ोतरी हुई।
4. **Fly Ash** की लदान को बढ़ाने हेतु **BOXN** में दिए जाने वाले **40% rebate** को **BTAP wagon** में भी दिए जाने हेतु बोर्ड को पत्रा लिखा गया है।
5. रेलवे बोर्ड ने पूर्व में धान के लदान हेतु वैगन के **PCC** को 62 टन से घटाकर 52 टन कर दिया था, उसे पुनः लागू करने हेतु बोर्ड को लिखा गया है जिससे कि धान के लदान यातायात को यथास्थिति बनाये रखा जा सके।
6. क्षेत्रीय एवं मंडल स्तर पर **BDU** का गठन कर अतिरिक्त यातायात लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

प्रमुझ

1. सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत करना, सभी परिसंपत्ति घटकों का निगरानी करना और उनका पता लगाना।
2. पहले से जोखिमों की पहचान करना और एकीकृत और पारदर्शी परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए सभी सूचनाओं को एकत्र करना।
3. निरीक्षणों के लिए उचित समय-निर्धारण होना चाहिए ताकि उत्पादकता प्रभावित न हो। स्पष्ट शब्दों में, प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण के लिए कुछ संपत्तियों की कमित सूची (**Listing**) बनाया जाएगा।
4. परिसंपत्ति घटकों की निरंतर निगरानी एक आधार रेखा (**Baseline**) बनाने में मदद करती है ताकि इस आधार रेखा के आधार पर एक अच्छा प्रदर्शन करने वाली संपत्ति और गैर-निष्पादित संपत्ति की पहचान की जा सके।
5. संपत्ति के अधिकतम (**Optimum**) उपयोग के लिए बहुत अधिक रख रखाव या बहुत कम रखरखाव के बीच संतुलन बनाना।
6. रेलवे जैसे बड़े संगठन में विभिन्न प्रकार की संपत्तियां हैं। इनका रख रखाव प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रभावशाली हो सकता है। यह रख रखाव के इतिहास को रखता है जो रख रखाव के मुद्दों को जल्दी से खोजने में मदद करता है और संपत्ति की विफलता से बचने के लिए रख रखाव की रणनीति बनाया जा सकता है।

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 28.04.2022) के कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी :-

क्र.सं.	मद	प्रधान विभागाध्यक्ष	अनुपालन/अभियुक्ति
1.0	ईसीआरकेयू		
1.1	सिंगरौली स्टेशन पर विद्युत आपूर्ति के संबंध में न्यायलय में चल रहे मामले को यथाशीघ्र निपटाया जाय ।	प्रमुविइं	सिंगरौली स्टेशन पर विद्युत आपूर्ति के संबंध में विवादित मामला माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर में लंबित है। उच्च न्यायलय के द्वारा सुनवाई की तिथि सुनिश्चित नहीं की गई है।
1.2	सभी रनिंग रूम वातानुकूलित होना चाहिए ताकि सभी क्रू को उचित विश्राम मिल सके ।	प्रमुविइं	सभी रनिंग रूम को वातानुकूलित कर दिया गया है।— प्रमुविइं
1.3	योजनाओं के कार्यान्वयन में निधि की उपलब्धता सतत बनाए रखा जाना चाहिए ।	प्रमुकाधि	अनुपालन हेतु नोट किया गया ।
1.4	मैन पावर प्लानिंग को निष्पक्ष एवं तार्किक बनाया जाय ।	प्रमुकाधि	अनुपालन हेतु नोट किया गया ।
1.5	रनिंग कर्मचारी का क्रू प्रबंधन प्रभावशाली बनाया जाय ताकि क्रू को लंबे समय तक यार्ड में ही गाड़ी के लिए प्रतीक्षा नहीं करना पड़े ।	प्रमुपरिप्र प्रमुविइं	साईन ऑन और साईन ऑफ से पूर्व होने वाली अनावश्यक डिटेंशन को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है । क्रू लॉबी के प्रभारी को उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करने के लिए सभी मंडलो के वमविइं/ओपी को सूचित कर दिया गया है।
1.6	धूल भरे साइडिंग से दूर ही रेलवे क्वार्टर बनाया जाना चाहिए ।	प्रमुइं	अनुपालन हेतु नोट किया एवं क्वार्टर बनाते समय ध्यान रखा जाएगा।
1.7	सहायक लोको पायलट से गार्ड की ड्युटी नहीं कराई जानी चाहिए ।	प्रमुपरिप्र	जहां सहायक लोको पायलट की अधिकता है और GR&SR- ECR/OPTG. Safety/ GR&SR/ Policy/ 505 dated 31.03.2022 के अनुसार माल गाड़ी बिना गार्ड के चलाई जा रही हो, वहां सहायक लोको पायलट का उपयोग किया जाना संरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।
1.8	कठिन परिस्थितियों में भी रेलकर्मि अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, अतः हमारी उपलब्धियों को मीडिया में उचित स्थान दिलाया जाय । इससे रेलवे की छवि सुधरेगी।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष, मुजंसधि	रेलकर्मियों के द्वारा सराहनीय उपलब्धियों को जनसंपर्क विभाग के माध्यम से मीडिया में उचित स्थान दिलाने के कार्य को सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षणकर्ताओं को इसकी हिदायत की गई है।— प्रमुसंधि रेसुब के बल सदस्यों द्वारा कोई सराहनीय/ उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। — प्रमुसुआ कठिन परिस्थितियों में किये जाने वाले अधिकांश कार्य ओपन लाइन पर कार्यान्वित किये जाते हैं। फिर भी यदि कोई विशिष्ट मामला संज्ञान में आता हो तो उसे पीआरओ के माध्यम से मीडिया को सूचित किया जायेगा। — प्रविस रेल की उपलब्धियों एवं रेल कर्मचारियों द्वारा किये गये उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है। इसके अलावा विभिन्न मीडिया जैसे —

			<p>Facebook एवं Twiter के माध्यम से भी जन-जन तक सूचना पहुंचाया जाता है।</p> <p>—प्रमुवाप्र यह कार्य सीपीआरओ कार्यालय द्वारा किया जाता है।— प्रमुसाप्र सुनिश्चित किया जाता है।—प्रमुविइं अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।— प्रमुसिदूइं सुनिश्चित किया जाता है।— प्रमुचिनि अनुपालन हेतु नोट किया गया।— प्रमुइं जनसंपर्क विभाग कार्यालय को संबंधित विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाती है तो उसे प्रेस रिलीज के माध्यम से समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ भेजा जाता है। — मुजंसधि</p>
1.9	डीडीयू मंडल में प्रशिक्षित गार्ड की पदस्थापना आवश्यकता वाले स्थलों पर ऑप्शन लेकर की जाय ।	मरेप्र/डीडीयू	डीडीयू मंडल में प्रशिक्षित गार्ड की पदस्थापना रिक्तियों के अनुसार प्रशासन के द्वारा की गई है। गार्ड के निजी अनुरोध पर स्थानांतरण का आवेदन करने पर उनके मांगे गये स्टेशनों पर उनकी पदस्थापना की जा रही है।
1.10	केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना में डेंटल एवं चर्म रोग के चिकित्सकों की समाप्त हुए संविदा को नियमानुसार यथाशीघ्र बहाल किया जाए ।	प्रमुचिनि	डेंटल एवं चर्म रोग के चिकित्सकों की संविदा को बढ़ाने हेतु एवं नये नियुक्ती हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
1.11	सेवा निवृत्त चिकित्सकों की कालावधि विस्तार करते समय फिटनेस चिकित्सा जांच सुनिश्चित की जाय ।	प्रमुचिनि	सुनिश्चित किया जाता है।
1.12	इलेक्ट्रीकल सुपरवाइजर/टीआरएस रेलकर्मियों का पदोन्नति प्रशिक्षण कचरापाड़ा में कराया जा रहा है । ऐसे प्रशिक्षणों को पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुविइं	ELTC डीडीयू में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है। यह कार्मिक विभाग के पास लंबित है।
1.13	स्टेशनों की सफाई के लिए 900 रुपये का अग्रदाय तार्किक नहीं है ।	प्रविस	इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव इस कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यदि कोई प्रस्ताव आता है तो उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
1.14	कर्मचारी कल्याण निधि की बैठक अविलंब कराई जाय ।	प्रमुकाधि	केंद्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 को संपन्न हो चुकी है।

1.15	आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का गंतव्य स्टेशन तक जाना सुनिश्चित किया जाय तथा इन पर रेल का नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जाय ।	प्रमुयांइं प्रमुवाप्र	ओबीएचएस सेवा के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक आउटसोर्स सफाई कर्मचारी की उपस्थिति गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर, गंतव्य स्टेशन से संबंधित सी एण्ड डब्ल्यू पर्यवेक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाती है। नामित सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति में कमी पाये जाने पर निर्धारित पेनाल्टी का प्रावधान है। आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों पर रेलवे का नियंत्रण निविदा की शर्तों के अनुसार अलग-अलग आर्थिक दण्ड द्वारा निर्धारित है। आउटसोर्स सफाई कर्मियों के कार्य का निरीक्षण व नियंत्रण संबंधित विभाग के पर्यवेक्षकों / निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।
1.16	वर्ष-2019 में मृत सहायक सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर के समापक भुगतान के संबंध में जांच कराकर भुगतान अविलंब कराया जाय ।	प्रमुकाधि	वास्तव में यह मामला मृत अधिकारी की बजाय चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित अधिकारी (ASTE) के समापक भुगतान का है। जिसका समापक भुगतान कर दिया गया है। पीपीओ दिनांक 06.07.2022 को जारी हो चुका है।
1.17	रेलवे अस्पताल में व्हील चेयर की कमी को अविलंब दूर किया जाय ।	प्रमुचिनि	पूर्व मध्य रेल के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में व्हील चेयर उपलब्ध हैं
1.18	अनुरक्षण में पार्ट्स की आपूर्ति पूरी की जाय ।	प्रमुसाप्र	अनुरक्षण में पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित किया गया ।
1.19	गर्मी के मौसम में वातानुकूलित कोच के अनुरक्षण हेतु पार्ट्स का भंडारण समुचित मात्रा में होना सुनिश्चित किया जाय ।	प्रमुसाप्र	उपलब्धता सुनिश्चित किया गया है।
1.20	ओवर नाइट गाड़ियों में ओबीएचएस सुविधा दी जानी चाहिए जैसे गंगा-दामोदर एक्स., राजेन्द्रनगर-हावड़ा एक्स., राजेन्द्रनगर-बाका एक्स. इत्यादि।	प्रमुयांइं	संदर्भित सभी रेलगाड़ियां रेलवे बोर्ड के ओबीएचएस से संबंधित दिशा-निर्देश/मापदण्ड का पालन नहीं करती हैं। रेलवे बोर्ड के पत्रांक-2006/एमसी/165/9, दिनांक-19.07.2010 के अनुसार जिन रेल गाड़ियों की यात्रा की शुरुआत 20.00 बजे के बाद होती है तथा यात्रा सुबह 08.00 बजे से पूर्व पूर्ण हो जाती है, ऐसी रेलगाड़ियों को ओबीएचएस सेवा से मुक्त रखा गया है।
1.21	रेलवे स्टेशनों पर स्थित पार्सल घर/गोदाम आदि एवं कैरेज रिपेयर डिपो/कारखानों में गैस गोदामों तथा स्क्रेप यार्डों से ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना चाहिए।	प्रमुयांइं प्रमुवाप्र	गैस गोदामों से ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखा जाता है। पार्सल कार्यालयों एवं गोदाम में विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ को न तो रखा जाता है न ही इसकी बुकिंग की जाती है। सभी पार्सल कार्यालय (पूमरे के क्षेत्राधिकार) इसका पालन करते हैं। इसकी छानबीन हेतु समय-समय पर संरक्षा निरीक्षण किया जाता है।
1.22	डीजल, तेल, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, रबर के सामान तथा पार्ट-पुर्जे पर अधिक सख्ती से ध्यान देने की जरूरत है।	प्रमुयांइं	विशेष ध्यान दिया जाता है।

1.23	कोचों के शौचालयों में पूरा पानी भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही इनके पाइप लाईन, नल तथा स्टेशनों पर वाटर बूथ में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।	प्रमुयांइं	कोचों के शौचालय में नियत समय में पूरी तरह से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है इसके लिए पूमरे के 26 स्टेशनों पर कोच वाटरिंग की व्यवस्था है। इनमें से 11 स्टेशनों पर क्वीक वाटरिंग लगाया जा चुका है और 01 स्टेशन पर क्वीक वाटरिंग प्लांट लगाया जा रहा है।
1.24	स्टेशनों एवं चलती गाड़ियों में अधिकृत वेंडरों द्वारा मानक कंपनी का ही बोतल बंद पानी बेचने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।	प्रमुवाप्र	स्टेशनों एवं चलती गाड़ियों में अधिकृत वेंडरों द्वारा अनुमोदित (पी० डी० डब्लू) बोतल बंद पानी ही बेचा जाता है। इसकी जाच समय समय पर अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा की जाती है। अनियमितता पाये जाने पर लाईसेंसी के विरुद्ध आवश्यक कारवाई की जाती है।
1.25	पैंट्रीकार का गलियारा अवरोध रहित रखना सुनिश्चित हो ताकि आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने में असुविधा नहीं हो।	प्रमुवाप्र	पैंट्रीकार का गलियारा अवरोध रहित रखने के लिए सर्व सम्बंधित को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। आग से बचाव हेतु विशेष निरीक्षण अभियान अधिकारियों/ निरीक्षकों द्वारा समय - समय पर की जाती है।
1.26	ट्रेन क्रू (गार्ड एवं ड्राइवर), टी टी ई, एसी स्टाफ, आर पी एफ/जी आर पी स्टाफ, पैन्ट्रीकार स्टाफ तथा ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ को अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने में प्रशिक्षित होना चाहिए।	प्रमुयांइं	ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ को संबंधित कोचिंग डिपो में समय-समय पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण से संबंधित रिकॉर्ड को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।
2.0 ईसीआरएससी/एसटी एशो0			
2.1	अग्निशामन में प्रशिक्षित कर्मचारियों को ही पैंट्रीकार में ड्युटी लगाया जाय।	प्रमुवाप्र	पैंट्रीकारों में कार्यरत कर्मचारी को अग्निशामन का प्रशिक्षण समय-समय पर दिया जाता है।
2.2	रेलवे में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	<p>संरक्षा विभाग में संविदा पर कोई कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत नहीं है।—प्रमुसंधि</p> <p>संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।—प्रमुयांइं</p> <p>नोट किया गया।परिचालन में संविदा पर कोई भी कार्यरत नहीं है।—प्रमुपरिप्र</p> <p>सुरक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जाता है।— प्रमुसुआ</p> <p>लेखा कार्यालय में संविदा पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।— प्रविस</p> <p>रेलवे में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।—</p> <p>प्रमुवाप्र</p> <p>संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान के लिए विभाग द्वारा Contractor को भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों के द्वारा शिकायत मिलने पर संबंधित शाखा अधिकारी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान</p>

			सुनिश्चित करवाते हैं।— प्रमुविइं अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।— प्रमुसिदूइं इस संबंध में रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाती है।— प्रमुचिनि रेलवे में संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी तय मानक के अनुसार ही दिया जाता है।— प्रमुइं
2.3	अस्पतालों की निरीक्षण समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए।	प्रमुकाधि	रेलवे बोर्ड के निर्धारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3.0	ईसीआरपीओए		
3.1	गर्मी के मौसम प्रारंभ होने से पूर्व ही रेलवे ट्रैक के आस-पास की झाड़ियों को साफ कर आगजनी से बचा जा सकता है।	प्रमुइं	रेलवे ट्रैक एवं आस-पास की झाड़ियों का नियमित तौर से सफाई की जाती है। गर्मी के मौसम होने के पूर्व यह सुनिश्चित की जा रही है जिससे आगजनी की कोई संभावना न रहे।
3.2	इतर रेलवे से आने वाली गाड़ियों के वातानुकूलित कोच को पूर्व मध्य रेलवे में प्रवेश करने पर प्रमुख स्टेशनों पर समुचित जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ए. सी. सही ढंग से कार्य करे।	प्रमुयाइं,	यदि Escorting ACCI द्वारा किसी AC से संबंधित शिकायत की सूचना प्राप्त होती है तो जांच एवं यथासंभव मरम्मत की जाती है यह देखते हुए कि ट्रेन परिचालन में बाधा अथवा समयपालन में दिक्कत न हो।
3.3	स्टेशन परिसर में स्थानीय फायर ब्रिगेड का फोन नंबर अंकित होना चाहिए।	प्रमुपरिप्र	जहां कहीं भी फायर ब्रिगेड के गाड़ियों का प्रवेश संभव है, वहां फोन नंबर उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.4	कोच के कर्मचारी एवं स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी अग्निशामक यंत्र को चलाने में प्रशिक्षित होने चाहिए।	प्रमुयाइं प्रमुपरिप्र प्रमुवाप्र प्रमुविइं, प्रमुइं	सभी संबंधित कर्मचारियों को नियम समयान्तरल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतः कर्मचारी अग्निशामक यंत्र चलाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। परिचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु मंडलों को लिखा गया है और यह प्रक्रियाधिन है। अग्निशामक के प्रशिक्षित कर्मचारियों को स्टेशनों एवं गाड़ियों में ड्युटी लगाया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों को पुनश्चर्या का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी अग्निशामक यंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।
3.5	गैप एवं प्री डिस्ट्रेसिंग किये बिना बी0सी0एम0 मशीन से डीप स्क्रीनिंग न किया जाय।	प्रमुइं	बी.सी.एम. मशीन से डीप स्क्रीनिंग का कार्य करने से पूर्व गर्मियों में IRPWM के अनुसार उचित तापमान पर गैप एवं प्री डिस्ट्रेसिंग कार्य आवश्यक रूप से किया जाता है।
3.6	गर्मी की पेट्रोलिंग समय से शुरू की जाय तथा पेट्रोलमैन का मुवमेंट रेगुलर चेक किया जाय।	प्रमुइं	गर्मी की पेट्रोलिंग समय से एवं IRPWM के अनुसार किया जाता है। जी.पी.एस. ट्रैकर द्वारा मुवमेंट रेगुलर जांच तथा औचक निरीक्षण किया जाता है।

3.7	दोपहर में चलने वाली ट्रेनों में ज्यादा से ज्यादा फूट प्लेटिंग निरीक्षण किया जाय ।	प्रमुयाइं प्रमुविइं प्रमुइं	दोपहर में चलने वाली गाड़ियों का फूट प्लेटिंग निरीक्षण किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा एवं हाजीपुर मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही फूट प्लेट निरीक्षण किया जा रहा है। फूट प्लेटिंग निरीक्षण मासिक समय सारणी के अनुसार दोपहर में चलने वाली ट्रेनों से किया जा रहा है।
3.8	बिना स्पीड रेस्ट्रीक्सन लगाये डीप स्क्रीनिंग एवं ट्रैक रिनुअल का कार्य न किए जाए।	प्रमुइं	डीप स्क्रीनिंग एवं ट्रैक रिनुअल का कार्य IRPWM में दी गई उचित स्पीड रेस्ट्रीक्सन लगाने के बाद ही किया जा रहा है।
3.9	किसी भी ज्वाइंट की फिश प्लेट ग्रीसिंग गर्मी में न की जाय।	प्रमुइं	किसी भी ज्वाइंट की फिश की प्लेट ग्रीसिंग गर्मी में नहीं की जाती है तथा IRPWM के प्रावधान का पालन किया जा रहा है।
3.10	बड़े पुलों पर एक या दो रेल का पैनल लगाया जाता है इसलिए उनके जोड़ों पर गैप सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुइं	बड़े पुलों पर जोड़ों पर उचित गैप को IRPWM के प्रवधान के अनुसार सुनिश्चित किया जा रहा है।
3.11	जिस भाग में डीप स्क्रीनिंग, स्लीपर चेंजिंग का कार्य लम्बे स्ट्रेच में किया गया हो वहां पर भी डिस्ट्रेसिंग कराई जाय।	प्रमुइं	लंबे स्ट्रेच में डीप स्क्रीनिंग एवं स्लीपर चेंजिंग का कार्य होने के बाद डिस्ट्रेसिंग निश्चित तापमान पर IRPWM के प्रवधान के अनुसार कराई जाती है।
3.12	जहां पहली बार रेल चेंजिंग की गयी हो वहां पर गर्मी शुरू होने के पहले डिस्ट्रेसिंग की जाय। जहां एस0इ0जे0 का गैप असाधारण रूप से घट या बढ़ रहा हो वहां भी डिस्ट्रेसिंग करायी जाय।	प्रमुइं	डिस्ट्रेसिंग का कार्य निश्चित तापमान पर IRPWM के प्रवधान के अनुसार कराई जाती है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रेसिंग सभी जगहों पर किया जाए।
3.13	एल0डब्ल्यू0आर0 की डिस्ट्रेसिंग निश्चित तापमान पर अवश्य की जानी चाहिए विशेषकर जिस स्थान पर जाड़ें में रेल चेंजिंग का कार्य किया गया हो।	प्रमुइं	इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। जाड़े में रेल चेंजिंग की गई एल.डब्ल्यू.आर. की डिस्ट्रेसिंग की डिस्ट्रेसिंग कर लिया गया है।
3.14	सभी एसी कोच, पावर कार, लोकोमोटिव और एस एल आर में वैद्य परीक्षण नियत तारीख में किया जाय साथ ही साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।	प्रमुयाइं प्रमुविइं	सभी कोचों में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध है तथा इन यंत्रों का समयानुसार परीक्षण किया जा जाता है। सभी लोकोमोटिव में अग्निशामक यंत्रों उपलब्ध है और उनकी जांच नियमित अंतराल पर की जाती है।
3.15	ऑयल टैंक वैगनों और लोकोमोटिव के ईंधन के रिसाव का उचित जांच एवं परीक्षण तथा उससे निपटने के तरीकों को सुनिश्चित किया जाए।	प्रमुविइं	लोकोमोटिव के ईंधन के रिसाव का उचित जांच एवं निरीक्षण एवं उससे निपटने के तरीकों को संबंधित डीजल शेड में सुनिश्चित किया जा रहा है।
3.16	कोच वायरिंग में पोजिटिव और निगेटिव केबल को अलग-अलग करना सुनिश्चित करें।	प्रमुयाइं,	रेकों का अनुरक्षण करने के दौरान कोच वायरिंग में पोजिटिव एवं निगेटिव केबल कार्य को अलग-अलग सुनिश्चित किया जाता है।
3.17	लाईट, पंखे और स्वीच बोर्ड से ढीले तार को हटा दिया जाए।	प्रमुयाइं,	रेकों का अनुरक्षण करने के दौरान लाईट, पंखे और स्वीच बोर्ड से ढीले तार या लटके स्थिति में नहीं होना सुनिश्चित किया जाता है।
3.18	छत के इलेक्ट्रीक लैम्प और ब्रेक वैन	प्रमुवाप्र	ब्रेक वैन में निर्धारित वजन के अनुसार ही लोडिंग

	(एसएलआर) के लगेज कम्पार्टमेंट में लोड किये गये पैकेजों की ऊपरी परत के बीच न्यूनतम निर्धारित गैप छोड़ा जाना चाहिए।		की जाती है। इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह में संरक्षा अभियान के तहत अनुपालन कराया जा रहा है।
3.19	सील करने से पहले एसएलआर/वीपी की सभी लाइटें बंद करना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुवाप्र	इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह में संरक्षा अभियान के तहत अनुपालन कराया जा रहा है।
3.20	चिमनी को कालिख से जाम होने और ओवर हीटिंग से बचाने के लिए पैट्री कारों की चिमनी को नियमित रूप से सफाई किया जाना चाहिए।	प्रमुवाप्र	इस संबंध में कोई कमी संज्ञान में आने पर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाता है।
3.21	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पावर कार में फायर डिटेक्टर कार्यरत है।	प्रमुवाप्र	इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।
3.22	पैट्री कार के तार ढीले या लटके नहीं होने चाहिए।	प्रमुवाप्र प्रमुयाइं,	इस संबंध में कोई कमी संज्ञान में आने पर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाता है। रेको का अनुरक्षण करने के दौरान पैट्री कार के तारों का ढीले या लटके स्थिति में नहीं होना सुनिश्चित किया जाता है।
3.23	बिजली/करेंट के लीकेज से बचाव हेतु आरसीसीबी (रेसिड्यूल करेंट सर्किट ब्रेकर्स) का उपयोग किया जाए।	प्रमुविइं	बिजली/करेंट के लीकेज से बचाव हेतु आरसीसीबी (रेसिड्यूबल करेंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स) का उपयोग किया जा रहा है।
3.24	सभी ट्रैक मशीनों और कैपिंग कोचों में वैध परीक्षण तारीख के साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।	प्रमुइं	अनुपालन हेतु नोट किया गया।
3.25	यात्री कोचों और एसएलआर में ज्वलनशील सामग्री जैसे कि-पटाखों, मिट्टी तेल, पेट्रोल, गैस सिलिंडर आदि सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	प्रमुवाप्र प्रमुसुआ	गाड़ी के SLR एवं कोचों ज्वलनशील सामग्री की अनुमति नहीं दी जाती है। यात्री काचों और एसएलआर में ज्वलनशील सामग्री जैसे-पटाखों, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, गैस सिलिंडर आदि सामग्री ले जाने के बावत रेसुब सदस्यों द्वारा सतत जांच किया जाता है। कोई मामला प्रकाश में आने पर रेसुब नियम के तहत विधिक कार्रवाई किया जाता है।
3.26	पार्सल पर्यवेक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब रेल द्वारा परिवहन के लिए दो पहिया मोटरसाइकिल की पेशकश की जाती है, तो पेट्रोल टैंक पूरी तरह से खाली हो।	प्रमुवाप्र	पूरी तरह खाली टंकी होने पर ही इसकी बुकिंग की जाती है।
3.27	प्लेटफार्म पर चल रही खान-पान सेवा ट्रॉली को जलती गैस स्टोव और सिगरी के साथ नहीं चलने देना चाहिए।	प्रमुवाप्र	प्लेटफार्म पर चल रही खान-पान सेवा ट्रॉली को जलती गैस स्टोव और सिगरी की अनुमति नहीं है। आग से बचाव हेतु समय-समय पर निरीक्षण अभियान अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। अनियमितता पाये जाने पर लाईसेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

3.28	स्टेशन कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अद्यतन टेलीफोन नंबर (लैंड लाइन/मोबाईल), रिकार्ड के साथ समय-समय पर उसका परीक्षण किया जाना चाहिए तथा एसएम कार्यालय के बाहर इसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए।	प्रमुपरिप्र	यह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है एवं फोन न0 सभी स्टेशनों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया जारी है।
3.29	सभी प्रकार के वायरिंग मानक के अनुरूप किया जाना चाहिए।	प्रमुविइं	सभी प्रकार के वायरिंग मानक के अनुरूप किया जाता है।
3.30	सभी प्रतिष्ठानों में अग्निशामक यंत्र लगा होना चाहिए तथा कर्मचारी इसके चलाने में प्रशिक्षित होना चाहिए।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	<p>संरक्षा विभाग में अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। इन्हें चलाने हेतु कर्मचारी प्रशिक्षित हैं।— प्रमुसंधि</p> <p>सभी प्रतिष्ठानों में अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षित किया जाता है।—प्रमुयांइं</p> <p>नोट किया गया एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। — प्रमुपरिप्र</p> <p>रे.सु.बल सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान अग्निशामक यंत्र के प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।—प्रमुसुआ</p> <p>लेखा कार्यालय में Hand held अग्निशामक यंत्र लगा दिया गया है एवं इसके प्रयोग किये जाने का प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया गया है।</p> <p>—प्रविस</p> <p>इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह में संरक्षा अभियान के तहत अनुपालन कराया जा रहा है।—प्रमुवाप्र</p> <p>कार्यालय में यंत्र लगा है एवं कर्मचारी इसे चलाने में प्रशिक्षित हैं। — प्रमुसाप्र</p> <p>सभी प्रतिष्ठानों में अग्निशामक यंत्र लगा है तथा कर्मचारी को इसके चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।— प्रमुविइं</p> <p>सिगनल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।— प्रमुसिदूइं</p> <p>सुनिश्चित किया जाता है।— प्रमुचिनि</p> <p>इंजीनियरिंग विभाग में सभी जगह अग्नि संभावित प्रतिष्ठानों में अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है। समय-समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।—प्रमुइं</p>
4.0	प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी –सह –अध्यक्ष /ईसीआरओए		
4.1	आउट सोर्स कर्मचारी को अग्निशामक में प्रशिक्षित होने पर ही ड्यूटी पर लगाया जाय अन्यथा रेलवे द्वारा प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित की जाय।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	<p>संरक्षा विभाग में कोई कर्मचारी आउट सोर्स में कार्यरत नहीं हैं।—प्रमुसंधि</p> <p>रेलवे द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।—प्रमुयांइं</p> <p>परिचालन विभाग में कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी नहीं है।—प्रमुपरिप्र</p> <p>रे.सु.बल सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान अग्निशामक यंत्र के प्रयोग करने का प्रशिक्षण</p>

			<p>दिया जाता है।—प्रमुसुआ लेखा कार्यालय में अग्निशमन कार्य हेतु कोई भी आउट सोर्स कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं।—प्रविस इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।— प्रमुवाप्र आउट सोर्स कर्मचारी को अग्निशमन में प्रशिक्षण दिया जाता है।— प्रमुविइं सुनिश्चित किया जाता है।— प्रमुचिनि अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुइं</p>
5.0	प्रधान मुख्य विधुत इंजीनियर		
5.1	फायर टेस्टिंग निश्चित समय पर की जानी चाहिए।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	<p>निरीक्षण के दौरान यह देखा जाता है कि फायर टेस्टिंग की जांच समय-समय पर की जा रही है अथवा नहीं।—प्रमुसंधि फायर टेस्टिंग निश्चित समय पर की जाती है।—प्रमुयाइं फायर टेस्टिंग समय समय पर किया जाता है।— प्रमुसुआ लेखा कार्यालय में फायर टेस्टिंग की गई है।—प्रविस इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह में संरक्षा अभियान के तहत अनुपालन कराया जा रहा है।—प्रमुवाप्र फायर टेस्टिंग निश्चित समय पर किया जाता है।—प्रमुसाप्र सुनिश्चित किया जा रहा है।— प्रमुसिदूइं सुनिश्चित किया जाता है।— प्रमुचिनि अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुइं</p>
6.0	प्रमुख मुख्य इंजीनियर		
6.1	ट्रैक पर स्ट्रक्चर बदलाव वाले स्थान पर बालास्ट का समुचित रूप से होना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुइं	ट्रैक पर सभी स्ट्रक्चरल बदलाव वाले स्थान पर बालास्ट की आवश्यकता अनुसार आपूर्ति की जाती है। इस संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गए हैं।
6.2	गिट्टी के नुकसान को रोकने के लिए पैदल यात्री और मवेशी कॉसिंग पर बौनी दीवारें प्रदान की जा सकती हैं। गर्मी शुरू होने से पहले गिट्टी की पुनः पूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाए।	प्रमुइं	इस संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं। गर्मी शुरू होने से पहले गिट्टी की पुनः पूर्ति की गई है।
6.3	किसी भी अनुरक्षण कार्य को शुरू करने से पहले पूर्ण गिट्टी खंड उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में गिट्टी एकत्र किया जाए।	प्रमुइं	पर्याप्त मात्रा में गिट्टी एकत्र किया गया है जिससे अनुरक्षण कार्य करने में किसी तरह की कठिनाई न हो।
6.4	सामान्य रख-रखाव के तहत, किसी भी समय लगातार 30 से अधिक स्लीपर नहीं खोले जाने चाहिए।	प्रमुइं	इसे सुनिश्चित किया जाता है तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं।
6.5	वास्तविक बकलिंग का पता चलने की स्थिति में डेटोनेटर लगाकर और बैनर फ्लैग प्रदर्शित कर यातायात को तत्काल निलंबित किया जाना	प्रमुइं	इस संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए इंजीनियरिंग विभाग के फ्रंट लाईन कर्मचारियों को नियमित रूप से ट्रैक सेपटी की ट्रेनिंग दी जाती है।

	चाहिए और सभी संबंधितों को सूचित किया जाना चाहिए।		
6.6	ट्रेक को स्लू करने या संरेखित करने या मौजूदा गिट्टी सेक्शन को बाधित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।	प्रमुइं	गर्मियों के दिनों में इस का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा इसके लिए समय-समय पर सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है।
7.0	प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक		
7.1	फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल समय-समय पर होना चाहिए।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	<p>फायर फाइटिंग के मॉक ड्रिल का आयोजन समय-समय पर मंडलों द्वारा किया जाता है।—प्रमुसंधि</p> <p>फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल समय समय पर किया जाता है।—प्रमुयांइं</p> <p>समय-समय पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है।—प्रमुपरिप्र</p> <p>फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण रेसुब सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान दिया जाता है।—प्रमुसुआ</p> <p>नामित अग्निशामक अधिकारी को इस संबंध में पत्र द्वारा आग्रह किया जा चुका है।—प्रविस</p> <p>इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा समय-समय पर मॉक ड्रिल कराया जा रहा है।—प्रमुवाप्र</p> <p>फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल किया जा रहा है।—प्रमुसाप्र</p> <p>फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल समय-समय पर किया जाता है।—प्रमुविइं</p> <p>सुनिश्चित किया जा रहा है।—प्रमुसिदूइं</p> <p>सुनिश्चित किया जाता है।—प्रमुचिनि</p> <p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुइं</p>
7.2	यात्रियों को सावधान करने के लिए यात्री डबों एवं पैट्रीकार में सतर्कता बरतने हेतु स्टीकर चिपकाया जाना एवं समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाया जाना।	मुजंसंधि	यात्रियों को सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से उन्हें सावधान रहने, सतर्कता बरतने हेतु जागरूक किया जाता है साथ ही संबंधित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार अनुरोध किए जाने पर पोस्टर, स्टीकर, बैनर इत्यादि का डिजायनिंग एवं प्रिंटिंग करा कर उपलब्ध करा दिया जाता है।
8.0	प्रधान मुख्य सामाग्री प्रबंधक		
8.1	स्मोक/फायर कर्टन एक तय एरिया में लगाया जाए जिससे लोकल फायर अलार्म पैनल या स्मोक डिटेक्टर से कनेक्ट कर, आग लगने पर अविलंब सूचना प्राप्त हो सके।	प्रमुसाप्र	सुनिश्चित किया गया है।
8.2	फायर अलार्म सिस्टम फायर कंट्रोल रूम में लगाया जाए जिससे सूचना अविलंब प्राप्त हो सके।	प्रमुसाप्र	सुनिश्चित किया गया है।
9.0	वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक		
9.1	संस्थानों एवं कार्य स्थलों पर स्वयं संरक्षित रहने के उपाय हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाय।	प्रमुचिनि	सुनिश्चित किया जाता है।

10.0	प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त		
10.1	स्टेबल रेक समुचित रूप से लॉकड होने चाहिए ।	प्रमुपरिप्र प्रमुवाप्र प्रमुसुआ	इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह में संरक्षा अभियान के तहत अनुपालन कराया जा रहा है। अनुपालन हेतु सभी मंडलों को निर्देशित किया गया।
11.0	प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी		
11.1	रिफिलिंग किये जाने वाले अग्निशामक को स्टेशन, डिपो एवं आउट सोर्स कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	इस संबंध में सभी मंडलों को बताया जा चुका है। ।— प्रमुसंधि रिफिलिंग किये जाने वाले अग्निशामक यंत्र को कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है।— प्रमुयांइं नोट किया गया और मंडलों को समुचित निर्देश जारी किया गया है।— प्रमुपरिप्र इस संबंध में सूचना दिया है, कार्रवाई अपेक्षित है।—प्रविस इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह में संरक्षा अभियान के तहत अनुपालन कराया जा रहा है।— प्रमुवाप्र सुनिश्चित किया जाता है। — प्रमुविइं सिगनल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।— प्रमुसिदूइं सुनिश्चित किया जाता है।— प्रमुचिनि अनुपालन हेतु नोट किया गया। — प्रमुइं
11.2	ट्रैक अनुरक्षण में लगे फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, ग्लूकोज, नींबू इत्यादि सरकारी/व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि लू से बचा जा सके ।	प्रमुपरिप्र प्रमुइं	नोट किया गया । अनुपालन हेतु नोट किया गया ।
11.3	ट्रैक के आस-पास छायादार वृक्ष नहीं हो तो आवश्यकतानुसार नियमित दूरी पर शेल्टर शेड उपलब्ध कराया जाय ।	प्रमुइं	अनुपालन हेतु नोट किया गया ।
11.4	प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग क्षेत्र, विशेष कर ट्रेस पासिंग हेतु संभावित क्षेत्र एवं पुल की पहचान/वक्रता पर जांच की जाय कि यहां बालास्ट की कमी हो तो इसका समाधान किया जाय ।	प्रमुइं	बालास्ट की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार सभी जगहों पर कर दी गई है।
11.5	खंडों की पहचान कर लंबित USFD निरीक्षण कार्य पूरा किया जाय ।	प्रमुइं	खंडों की पहचान कर लंबित USFD निरीक्षण का कार्य प्रगति पर है।
11.6	ट्रैक मशीन कार्य को संपादित करने के लिए सभी अनिवार्य ग्रीष्म ऋतु सावधानियां बरती जाय ।	प्रमुइं	ट्रैक मशीन कार्य को संपादित करने के लिए सभी अनिवार्य ग्रीष्म ऋतु सावधानियां बरती जा रही है।

11.7	आर.पी.एफ. एवं वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत हॉकरों एवं वैंडरों एवं पार्सल वान/ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ यथा पटाखे, कोयला, तेल, गैस इत्यादि ले जाने एवं रोकने के लिए गहन जांच किया जाना चाहिए।	प्रमुवाप्र प्रमुसुआ	वाणिज्य विभाग द्वारा आग से बचाव हेतु विशेष निरीक्षण अभियान समय-समय पर अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा की जाती है। यात्री कोच और एसएलआर एवं रेल परिसर में ज्वलनशील सामग्री जैसे-पटाखों, मिट्टी का तेल,पेट्रोल, गैस सिलिंडर आदि सामग्री ले जाने के बावत रेसुब सदस्यों द्वारा सतत जांच किया जाता है। कोई मामला प्रकाश में आने पर रेसुब नियम के तहत विधिक कार्रवाई किया जाता है।
11.8	दुरंतो, तेजस, राजधानी शताब्दी इत्यादि ट्रेनों के जेनरेटर कार में आग से सुरक्षा व सावधानियों से संबंधित निवारक जांच की जानी चाहिए।	प्रमुयाइं	यह एक अनिवार्य जांच है जिसे हरेक ट्रिप में सुनिश्चित किया जाता है। – प्रमुयाइं
12.0	प्रधान मुख्यसिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर		
12.1	रिले रूम को डस्ट (धूल) मुक्त रखने के लिए साफ-सफाई। कनेक्टर क्लिप की उचित लॉकिंग सुनिश्चित करने के लिए वायरिंग का प्रत्यक्ष निरीक्षण।	प्रमुसिदूइं	सुनिश्चित किया जा रहा है।— प्रमुसिदूइं
12.2	जहां कहीं भी केबल ड्रम रखा हुआ है वहां की समुचित साफ-सफाई की जाती है, जिससे आग लगने की संभावना नहीं रहे।	प्रमुसिदूइं	सुनिश्चित किया जा रहा है।— प्रमुसिदूइं
13.0	प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक		
13.1	प्रशिक्षण संस्थानों, स्टेशनों आदि पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना निकटवर्ती अस्पतालों को दें ताकि उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीमारी से स्वयं को बचाने के उपायों की जानकारी दिया जा सके।	प्रमुयाइं प्रमुपरिप्र प्रमुवाप्र प्रमुविइं प्रमुचिनि	रेलवे हेल्थ यूनिट को इसकी सूचना दी जाती है। इसका ध्यान रखा जायेगा एवं अनुपालन हेतु मंडलों को बताया गया है। इसके लिए सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। सुनिश्चित किया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है।
14.0	मुख्य जनसंपर्क अधिकारी		
14.1	रेलवे में विपरीत परिस्थितियों में भी किये जा रहे कार्यों की सूचना जनसंपर्क विभाग को भी दिया जाय ताकि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर रेलवे की छवि को और बेहतर बनाया जा सके।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष, मुजंसधी	विभाग द्वारा की गई उपलब्धियों को मीडिया में उचित स्थान दिलाने हेतु मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी को सूचित किया जाएगा।—प्रमुसंधि नोट किया गया और सुनिश्चित किये जाने हेतु मंडलों को बताया गया है। —प्रमुपरिप्र रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा रेलवे की छवि को और बेहतर बनाने हेतु यात्रियों को जागरूक किया जाता है। – प्रमुसुआ रेलवे में विपरीत परिस्थितियों में किये जाने वाले अधिकांश कार्य ओपेन लाइन पर कार्यान्वित किए जाते हैं। यद्यपि इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।—प्रविस

			<p>अनुपालन किया जाएगा।—प्रमुवाप्र यह कार्य सीपीआरओ कार्यालय द्वारा किया जाता है। — प्रमुसाप्र नोट किया गया है।—प्रमुविइं अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।— प्रमुसिदूइं सुनिश्चित किया जाता है।— प्रमुचिनि अनुपालन हेतु नोट किया गया। —प्रमुइं इस संबंध में विभाग द्वारा विस्तृत सूचना उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में समाचार पत्रों को प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रकाशनार्थ भेजा जाता है। साथ ही सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से भी व्यापक प्रचार-प्रसार कर रेल की छवि को बेहतर बनाने का कार्य किया जाता है।—मुजंसधी</p>
14.2	<p>गर्मी के मौसम में स्वयं को बचाने की उपायों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया का प्रभावशाली प्रयोग किया जाना चाहिए।</p>	<p>सभी प्रधान विभागाध्यक्ष</p>	<p>संरक्षा विभाग के कर्मचारियों को इस संबंध में जागरूक किया गया है।—प्रमुसंधि नोट किया गया और सुनिश्चित किये जाने हेतु मंडलों को बताया गया है। —प्रमुपरिप्र गर्मी के मौसम में रेलवे रेसुब सदस्यों को स्वयं बचाने एवं यात्रा के दौरान यात्रियों के मध्य गर्मी से बचने हेतु उद्घोषणा /प्रचार-प्रसार कर जागरूक किया जाता है, तथा सोशल मीडिया का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। — प्रमुसुआ इस संबंध में लेखा कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया था।—प्रविस अनुपालन किया जाएगा।—प्रमुवाप्र यह कार्य सीपीआरओ कार्यालय द्वारा किया जाता है। — प्रमुसाप्र सुनिश्चित किया जाता है। —प्रमुविइं अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।— प्रमुसिदूइं चिकित्सा विभाग द्वारा किसी भी आपदा से निपटने हेतु समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है।— प्रमुचिनि गर्मी के मौसम में स्वयं को बचाने की उपायों के संबंध में हमेशा कर्मचारियों को जागरूक किया जाता है।—प्रमुइं</p>



धन्यवाद